-2-

टी०ए० मिस केस सं० 28/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
11.06.19		

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता **श्री शिवचरण बोदरा, पिता– स्व० सिकुर बोदरा**, निवासी ग्राम– **तमाड़बाँध**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **तमाड़बाँध**, थाना नं०– **125** के अन्दर खाता नं०– **26**, प्लॉट नं०– **921**, **रकवा– 0.07½ एकड़** भूमि क्रेता **श्री चन्द्रमोहन कारोवा, पिता– स्व० मोरन सिंह कारवा**, निवासी ग्राम– **तमाड़बाँध**, थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि खतियान में आवेदक के दादा के नाम पर दर्ज है। पिता एवं दादा के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की भूमि है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 20, दिनांक– 05.01.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नव गृह निर्माण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **श्री चन्द्रमोहन कारोवा, पिता– स्व० मोरन सिंह कारवा**, निवासी ग्राम– **तमाड़बाँध**, थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास 1,00,000.00/– **(एक लाख रूपये)** में बिक्री करना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन के प्राप्ति के पश्चात् आवेदक शिवचरण बोदरा का आकास्मिक मृत्यु दिनांक– 30.01.2019 को हो गया है। जो मृत्यु प्रमाण–पत्र अभिलेख में संलग्न है। आवेदक के छोटे भाई एवं ग्रामीण मुण्डा ने उक्त खाता, प्लॉट को छोटे भाई के नाम से बिक्री अनुमति हेतु अनुरोध किया है। मुण्डा द्वारा सत्यापित कुर्सीनामा में हरिचरण बोदरा एकमात्र उत्तराधिकारी है। ग्रामीणों को किसी प्रकार का का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.70 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **श्री हरिचरण बोदरा, पिता– स्व० सिकुर बोदरा**, निवासी ग्राम– **तमाड़बाँध**, थाना– **मुफ्फसिल**, क्रेता **श्री चन्द्रमोहन कारोवा, पिता– स्व० मोरन सिंह कारवा**, निवासी ग्राम– **तमाड़बाँध**, थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास जमीन को कुल **1,00,000.00/– (एक लाख रूपये)** में मौजा– **तमाड़बाँध**, थाना नं०– **125** के अन्दर खाता नं०– **26**, प्लॉट नं०– 921, **रकवा– 0.07½ एकड़** जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ... स्वीकृति .... दी जाती है।

लेखापित

(हस्ताक्षर) 1/6

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

(हस्ताक्षर) 1/6/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner